53

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2064–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–11–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण कमांक 104/निगरानी/2004–05.

.....

श्री नंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या0इंदौर
द्वारा अध्यक्ष रमेश चन्द्र पुत्र मिट्ठूलाल मित्तल
निवासी दलिया पट्टी जिला इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मुकेश पुत्र सनद कुमार गोधा
निवासी 328 एम.जी.रोड इंदौर
2–म0प्र0राज्य द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा , अभिभाषक– आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक संस्था द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व के ग्राम छोटाबांगरदा तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 115/4, 117/1, 118/2 व 120 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 16–3–2005 से सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने

पर उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण उसके द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–7–05 को आदेश पारित कर प्रकरण अधीक्षक भू–अभिलेख को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों की मौजूदगी में आवेदन अनुसार समस्त सर्वे नम्बरों का पुनः सीमांकन किया जाये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–11–2005 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 सर्वे नम्बर 116/3 एवं 352/2 का भूमिस्वामी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा उपरोक्त भूमियों पर विधिपूर्ण स्वत्व अर्जित नहीं किया गया है इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि यदि अनावेदक कमांक 1 अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा किये गये सीमांकन से असंतुष्ट था तो उसे अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहिये था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे नम्बर 116/3 शासकीय नजूल की भूमि है और 352/2/2 लक्ष्मी गृह निर्माण संस्था की भूमि है । इस प्रकरण में आवेदक के स्वत्व की कोई भी भूमि नहीं होने से उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत यदि राजस्व अधिकारी के मतानुसार भूमि का सीमांकन त्रुटिपूर्ण

नक्शे के आधार पर हुआ हो तो वह सही नक्शे के आधार पर पुनः सीमांकन कराये के आदेश दे सकता है । आवेदन अनुसार समस्त सर्वे नम्बरों का सीमांकन नहीं किया गया है और सीमांकन प्रतिवेदन में संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर भी नहीं है । स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही त्रुटिपूर्ण पाई गई है जिसको अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर सभी हित धारकों को विधिवत् सूचना पत्र जारी कर मौके पर निश्चित सीमा चिन्ह कायम करते हुये हितबद्ध पक्षकारों की मौजूदगी में आवेदन अनुसार समस्त सर्वे नम्बरों का सीमांकन कर आदेश पारित करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–11–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर